महत्वपूर्ण

संख्या-2397/नौ-7-15-27ज./2004टी.सी.

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ.प्र.।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उ.प्र.।
3. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
4. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ.प्र.।

नगर विकास अनुभाग-7 लखनऊ : दिनांक : 28 जुलाई, 2015

विषयः स्वतंत्रता दिवस 15.08.15 से पूर्व प्रदेश के नगरीय निकायों में अभियान चलाकर सफाई व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रदेश के नगरीय निकायों में अभियान चलाकर सफाई व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में शासन स्तर से पूर्व मे भी शासनादेश संख्या-1529/9-7-2003-11ज/96टी0सी0, दिनांक 28.04.03, शासनादेश संख्या-2124/9-7-2004-27ज/04, दिनांक 10.06.2004, शासनादेश संख्या-2780/9-7-2004-27ज/04, दिनांक 24.09.2004, शासनादेश संख्या-2830/9-7-2004-27ज/04, दिनांक 27.09.2004, शासनादेश संख्या-1853/9-7-2005-27ज/04, दिनांक 12.04.05, शासनादेश संख्या-2954/9-7-2005-27ज/04, दिनांक 28.06.2005, शासनादेश संख्या-2747/9-7-2006-27ज/04, दिनांक 29.05.06, शासनादेश संख्या-4113/9-7-2008-27ज/04, दिनांक 13.10.08, शासनादेश संख्या-406/9-7-2011-27ज/04, दिनांक 22.03.11 निर्गत किये गये है।

2. आप अवगत है कि नगरो में समुचित एवं प्रभावी सफाई व्यवस्था के अभाव मे जनस्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के साथ-साथ संक्रामक रोगों के उत्पन्न होने एवं फैलने की सम्भावना बढ़ जाती है। प्रदेश में वर्तमान वर्षा ऋतु को देखते हुए यह आवश्यक हो जाता है कि नगरीय क्षेत्रो में अभियान चलाकर सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की जाय, ताकि नगरीय क्षेत्रों में कूड़े-कचरें अनियन्त्रित रूप से न पडे रहें और गन्दे पानी के एकत्रित होने की स्थिति भी उत्पन्न न हो जिससे कि संक्रामक रोगो के फैलने पर नियन्त्रण हो सके।

3. उक्त के क्रम में स्पष्ट करना है कि उ0प्र0 नगर निगम, अधिनियम, 1959 की धारा-114 तथा उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-6 में नागर निकायो के उल्लिखित कर्तव्यो के अन्तर्गत सार्वजनिक स्थानों, सड़को और नालियों की सफाई करने, कूड़ा-करकट हटवाने, जलोत्सारण निर्माण कार्यो तथा सीवर व्यवस्था सम्बन्धी कार्यो से अनुरक्षण आदि का प्राविधान किया गया है। प्रायः यह देखने मे आता है कि नागर निकायों द्वारा

साफ-सफाई व्यवस्था पर पर्याप्त ध्यान नही दिया जाता है, जबकि भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार द्वारा एक मिशन के रूप में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है।

4. इस सम्बन्ध मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्वतंत्रता दिवस 15.08.15 से पूर्व प्रदेश के समस्त नागर निकायों में सफाई अभियान चलाया जाय। समस्त संबंधित अधिकारियों द्वारा नगरीय क्षेत्रों का नियमित रूप से स्थलीय निरीक्षण किया जाय। जिलाधिकारियों एवं मण्डलायुक्तों से भी यह अपेक्षा की जाती है कि उनके द्वारा भी साफ सफाई व्यवस्था की अपने स्तर पर समीक्षा की जाय और जिनके स्तर पर शिथिलता परिलछित हो उनके विरूद्ध तत्काल नियमानुसार कार्यवाही की जाय। नगरीय क्षेत्रो मे सफाई आदि की व्यवस्था भी शिथिलता पाये जाने पर प्रथम दृष्टया: यथास्थिति सम्बन्धित नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी/महाप्रबन्धक/ जलकल विभाग/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम उत्तरदायी होंगे।

कृपया आदेशो का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,

27/7/2015

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. जल निगम, लखनऊ।
2. समस्त महाप्रबन्धक, जल संस्थान/जलकल विभाग, उ0प्र0।
3. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उ0प्र0 (द्वारा सम्बन्धित जिलाधिकारी)।
4. नगर विकास अनुभाग-1/3/4।
5. कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग को विभागीय वेब-साइट पर अपलोड करने हेतु।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुधीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव।